D.D. No - 23B

Date - 31/01/2019

सेवा में

श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय

[illegible] सुल्तानपुरी (दिल्ली) - 86

विषय:- बलात्कारी बाबा मनमोहन साहब के द्वारा किए गए दो साध्वी बहनों के साथ बलात्कार संबंधित मामला का उदबभेदन करने के कारण बाबा के अज्ञात समर्थकों के द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने के बाद अपने जान माल की सुरक्षा हेतु अभ्यावेदन

सेवा में सविनय निवेदन यह है कि मैं राजीव कुमार पिता श्री शिव चंद्र राम मकान नंबर 176 T ब्लॉक मंगोलपुरी में निवास करता हूं तथा दलित दस्तक, यूथ की आवाज , नेशनल दस्तक और अन्य पत्र पत्रिका के लिए पत्रकारिता का काम करता हूं.

महोदय नवंबर 2018 के 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच सत्संग का कवरेज करने के लिए मैं लुधियाना पंजाब गया हुआ था सत्संग के दौरान हमारी मुलाकात बलात्कार पीड़िता पुष्पा कुमारी तथा ममता कुमारी से हुई । लगभग 25 दिन बाद पीड़िता ममता कुमारी का फोन हमारे मोबाइल पर आया हमने बात किया बात करने के बाद ममता ने अपने साथ शोषण होने का बात कहा इसके कुछ दिन बाद पीड़िता पुष्पा कुमारी ने भी हमें कॉल किया और कहा कि यह घटना हमारे साथ भी घटित हुई है और हम से सहायता मांगा।

हमने दोनों बहनों को सलाह दिया कि आप दोनों बहन आपके साथ जो भी हुआ है उसको सादे कागज पर लिखकर माननीय प्रधानमंत्री , राष्ट्रपति , मुख्यमंत्री बिहार, तथा राष्ट्रीय महिला आयोग को बताओ ताकि आपको न्याय मिल सके और बाबा को उसके किए हुए कुकर्म की सजा मिल सके। महोदय दोनों बहनों ने पत्र के माध्यम से सभी उच्च पदाधिकारियों को सूचित किया तथा पत्र का एक प्रति हमें भी व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा भेजा जिस पर हमने भी अपने स्तर से पदाधिकारियों से बात करके उचित कार्रवाई होने के संबंध में बात किया।

इसी दौरान 24 तारीख को ममता कुमारी अपने घर से निकलकर बिहार बाबा को सजा दिलाने के लिए चल पड़ी और इसकी जानकारी उन्होंने हमें फोन पर दी। महोदय पीड़िता ममता कुमारी लुधियाना से जब दिल्ली आई तो हमने ईसकी जानकारी दिल्ली महिला आयोग तथा बिहार महिला हेल्पलाइन , सुपौल के पुलिस अधीक्षक को फोन के माध्यम से दिया और इसके बाद पीड़िता को बिहार भेज दिया ।

Rajeev Kumar

31/01/19

Scanned by CamScanner

बिहार पहुंचने के बाद ममता कुमारी अपने साथ सारे दस्तावेज लेकर के इस संकट की घड़ी में अपने पितातुल्य श्री जगदीश राय जी के साथ दिनांक 28 जनवरी 2019 को सुपौल महिला थाने में हाजिर हुई और अपने साथ हुए जघन्य अपराध का पूरा बयान पुलिस के सामने दिया। जिसके बाद पुलिस ने सुपौल महिला थाना कांड संख्या 5/2019 दर्ज किया तथा बलात्कारी बाबा मनमोहन साहेब को उनके फुलपरास मधुबनी बिहार स्थित आश्रम से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया

महादय उक्त पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में हमने सहयोग पटना हाई कोर्ट के मानवाधिकार अधिवक्ता श्री अभिषेक आनंद तथा दिल्ली महिला आयोग और बिहार महिला हेल्पलाइन के मार्गदर्शन में किया। महोदय बाबा के 29 जनवरी 2019 के जेल जाने के बाद दिनांक 31 जनवरी 2019 को एस ब्लॉक चौक मंगोलपुरी पर अपने निवास स्थान से सब्जी दुकान पर जाने के दौरान साम के लगभग 7:20 बजे मुझे 5-6 बाबा के अज्ञात समर्थकों के द्वारा जान से मारने की धमकी मिली और कहां गया कि तुम इस मैटर से अलग हो जाओ और पीड़िता पर दबाव बनाओ कि वह अपना मुकदमा वापस ले ले नहीं तो तुम अपनी जान गवाने के लिए तैयार रहो।

महोदय धमकी मिलने के बाद मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूं की जेल में बंद बलात्कारी बाबा मनमोहन साहेब ग्राम पचभिंडा प्रखंड मरौना जिला सुपौल बिहार अथवा उनके अज्ञात समर्थक मेरी हत्या कर सकते हैं महोदय मैं इस अभ्यावेदन के माध्यम से आपको सूचित करता हूं कि यदि मेरे साथ अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो इसके जिम्मेदार बलात्कारी बाबा मनमोहन साहेब होंगे।

अतः श्रीमान से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि मेरे अभ्यावेदन पर उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए मुझे उचित सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं सत्य और न्याय के लिए पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए उक्त बलात्कार पीड़िता का सहयोग कर सकूं ताकि उनको न्याय मिल सके।

Rajeev Kumar
31/01/19

आपका विश्वासी

राजीव कुमार
पिता शिव चंद्र राम
T-176 , T ब्लॉक मंगोलपुरी नई दिल्ली -110086
Mobile no.9625818535
Email id :-. Rajeevkppusa@gmail.com

Scanned by CamScanner